

न्यायालय उप जिला कलक्टर हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

10 102/2014

तारीख रजु:- 10.09.2014

मंगती आदि बनाम समयसिंह बगौ0

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

09.2019 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं है। बार-बार आज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया ना ही किसी प्रकार का आवेदन किया गया है। वकील प्रतिवादी द्वारा भी अपने जबाव दावा कोई काउण्टर म नहीं चाहा गया है।

अतः दावावादी धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम खिलाफ आदीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
हिण्डौन